IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4(4)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2019/200 जयपुर,दिनांकः 19.02.2019
22.2.19

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- विशेष आवासीय पट्टा/भू-खण्ड आवंटन अभियान बाबत।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जाकर, पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये जायेंगे ।

अभियान के लिए ज़िला स्तर पर संबंधित ज़िला कलेक्टर प्रभारी होगे। इनका यह दायित्व होगा कि पंचायती राज एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के समन्वय से अभियान हेतु आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करवाते हुए अधिक से अधिक व्यक्तियों को पट्टा/भू-खण्ड आवंटित करवाये जाने का प्रयास करें।

इस अभियान हेतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से पृथक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस अभियान में राजस्व विभाग से जुडे ऐसे मुद्दे/बिन्दु जिन पर पंचायती राज एवं राजसव विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा कार्य किया जाना है इसके लिए आप द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेः-

1. सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों को स्वयं के क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान नहीं है, इस कारण उन्हें आबादी भूमि के पट्टे आवंटन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है । अतः समस्त ज़िला कलेक्टर्स राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों को पाबन्द कर ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

2. ज़िला कलेक्टर उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारों एवं पटवारियों को निर्देशित करें कि ऐसी ग्राम पंचायते जिनमें उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इन्द्राज

संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नहीं है, वहां अविलम्ब इन्द्राज ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाये।

3. ज़िला कलेक्टर से यह भी अपेक्षा है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवाय चक, राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तित करते हुए आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जाये । जिन पंचायत क्षेत्रों में सिवाय चक भूमि के रूप में केवल चारागाह की भूमि ही उपलब्ध है, वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपांन्तरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाये ।

4. ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में पट्टा/भू–खण्ड आवंटन से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की सूची, लम्बित रहने के कारणों सहित तीन दिवस की अवधि में ज़िला परिषद पर प्राप्त कर, इन लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से समुचित मार्गदर्शन ग्राम पंचायतों को दिया जाना सुनिश्चित करायें ।

5. अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवासीय योजना–ग्रामीण के पात्र परिवारों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार आप द्वारा की गई कार्यवाही से पंचायती राज/राजस्व विभाग को अविलम्ब अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा0वि0 एवं पं0 राज

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7. ए0सी0पी0, पंचायती राज को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)